पत्रांक : ME/01/1183/2023/37 **दिनांकः 05/01/2026**

प्रेषक,

शशि रंजन, भा.प्र.से.
राज्य परियोजना निदेशक ।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
झारखण्ड।

विषय- राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में वर्ष 2026-27 में बच्चों के नामांकन हेतु दिशा-निर्देश के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में वर्ष 2026-27 में विभिन्न कक्षाओं बच्चों के नामांकन हेतु जनवरी माह से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है राज्य के इन 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकित 04 कोटि के विद्यालय सम्मिलित हैं-

क0सं0	विद्यालय की श्रेणी	विद्यालयों की संख्या
1	जिला स्कूल/ जिला स्कूल के तर्ज पर उत्कृष्ट शिक्षण के केंद्र	25
2	जिला मुख्यालय का एक बालिका माध्यमिक/+2 विद्यालय	24
3	जिला मुख्यालय का एक के0जी0बी0भी0	24
4	प्रमण्डल का एक मॉडल स्कूल	07
	कुल	80

1. विद्यालयों के वर्तमान क्षमता एवं बच्चों के नामांकन को देखते हुए उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा नामांकन हेतु सीटों की उपलब्धता के संबंध में विवरणी उपलब्ध करायी जा रही है। तदनुसार विद्यालय के नामांकन की स्थिति, स्थान की उपलब्धता एवं वर्तमान संचालन स्तर को ध्यान में रखते हुए इन 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु नामांकन की प्रकिया हेतु निम्न दिशा-निदेश है-

A. कक्षा 9 से 12 तक संचालित होने वाले इस विद्यालयों में वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में कक्षा 9 में नामांकन लिया जा सकता है, कक्षा 6 से 12 तक संचालित विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 6 में नामांकन लिया जा सकता है एवं कक्षा 1 से संचालित होने वाले विद्यालयों में वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में कक्षा 1 में नामांकन लिया जा सकता है।

B. कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 में कुल स्वीकृत 75 सीटों में से 25 राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सीटों पर मेधावी छात्राओं को इन जिला स्तरीय उत्कृष्ट कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में उत्कृष्ट विद्यालयों के कक्षा 6 में नामांकन लिया जाएगा। इस हेतु चयन राज्यस्तरीय चयन परीक्षा के माध्यम से की जाएगी।

C. बालवाटिका से संचालित होने वाले विद्यालयों में वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में बालवाटिका में नामांकन लिया जा सकता है।

D. इन कक्षाओं में नामांकन के चयन परीक्षा हेतु राज्यस्तर से JCERT के द्वारा प्रश्न पत्र तैयार कराया जायेगा।

2. जिलों के उत्कृष्ट विद्यालयों में जहां बाल वाटिका एवं कक्षा 1 में नामांकन उपरोक्त दिशा-निदेश के अनुरूप लिया जाना है के लिए नामांकन हेतु विस्तृत दिशा-निदेश इस पत्र के साथ **परिशिष्ट-क** के रूप में संलग्न किया गया है, जिसके आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

3. कक्षा 6 एवं अन्य कक्षाओं जहां कक्षा का संचालन पहली बार करने का निर्णय लिया जा रहा है, में राज्यस्तरीय चयन परीक्षा का आयोजन JCERT के द्वारा किया जायेगा, तदनुसार मेधा सूची तैयार की जायेगी, जिसके आलोक में निम्न प्रक्रिया का पालन किया जाए-

A. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सभी उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के साथ बैठक कर दिनांक 16.01.2026 तक रिक्ति का कक्षावार निर्धारण शैक्षणिक वर्ष 2026-27 हेतु नामांकन पर विचार करने हेतु तैयार करेंगे।

B. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से School of excellence में नामांकन रिक्ति प्रतिवेदन राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराऐंगे। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा राज्य के सभी School of excellence में नामांकन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन कर आवेदन आमंत्रित किए जाऐंगे। नामांकन हेतु आवेदन ऑनलाईन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आमंत्रित किया जायेगा।

C. नामांकन हेतु समेकित रूप से सभी जिलों से प्राप्त विभिन्न कक्षाओं से संबंधित दिशा-निर्देश के अनुरूप कक्षावार प्राप्त रिक्ति के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।

D. ऑनलाइन आवेदन को राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जिलावार विभक्त करते हुए उन सभी जिलों को भेजा जाएगा जहाँ के उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए बच्चों के द्वारा आवेदन किया गया है।

E. नामांकन हेतु आवेदन करने संबंधी जानकारी जिले के अधिकारिक NIC के वेबसाईट पर भी अपलोड की जाएगी ताकि जिलास्तर पर भी इससे संबंधी जानकारी सर्वसुलभ हो सके। परन्तु ऑनलाईन आवेदन सभी जिलों के लिए राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में राज्य स्तर पर प्राप्त कर जिलों में स्थानंतरित किये जायेंगे।

F. सभी जिलों के उत्कृष्ट विद्यालयों के वेबसाईट पर नामांकन हेतु आवेदन का प्रपत्र एवं दिशा निर्देश उपलब्ध रहेगा जहाँ से अभिभावक आवेदन कर पायेंगे एवं दिशा निर्देश प्राप्त कर सकेंगे।

G. आवेदन प्रपत्र निःशुल्क रहेगा। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

H. नामांकन में अभिभावकों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु सभी उत्कृष्ट विद्यालयों में Admission Help Desk की स्थापना की जाएगी, जिसमें विद्यालय के Admission IN-Charge (Teacher) तथा विद्यालय SMC के किसी सदस्य/ सदस्यों को रखा जा सकता है जो अभिभावकों को यथोचित मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करेंगे।

I. जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भी एक हेल्प डेस्क की स्थापना जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एक सक्षम पदाधिकारी एवं लिपिक अथवा परियोजना कर्मी की प्रतिनियुक्ति कर की जाएगी। यह हेल्प डेस्क

अभिभावकों को नामांकन संबंधी सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध करायेगा। आवेदक इस Admission Help Desk से आवेदन प्रपत्र एवं दिशा-निर्देश भी प्राप्त किया जाएगा।

10. नामांकन में जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा।

1. उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन हेतु निम्नांकित समय-सारणी का अनुपालन किया जाएगा-

Sl. No.	Admission Milestone	Date
1	Release of guideline to District Education Officers under SoEs	08.01.2026
2	Submission of class wise vacancy to State Project Office (JEPC) for classes as per guidelines stated for admission	19.01.2026
3	Publication of Advt. by District and State Office after finalization of vacency for admission	22.01.2026
4	Application Submission Period	22.01.2026 to 16.02.2026
5	Scrutiny of Admission form by Scrutiny committee headed by DEO, where all SoE principal/ headmaster of the District and SDEO will be member.	18.02.2026 to 20.02.2026
6	Publication of Provisional list including deficiency statement if any for compliance	24.02.2026
7	Submission of Classwise applicant list to State Project Office, JEPC	26.02.2026
8	Compliance period for parents to remove deficiency in application and its submission to DEO office.	27.02.2026 to 28.02.2026
9	Conduct of Admission Test	10.03.2026
10	Publication of School wise 1st Merit list for Admission in various classes for which Application have been invited.	17.03.2026
11	Admission of children in SoEs as per selection list.	18.03.2026 to 27.03.2026
12	Orientation of Children and start of academic session under CBSE Curriculum based on NCERT books	01.04.2026

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए अपने जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराया जाए।

विश्वासभाजन,
05/01/26
(शशि रंजन)
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक : **ME/01/1183/2023/**37 दिनांक :05/01/2025

प्रतिलिपिः सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपिः सभी उत्कृष्ट विद्यालयों के नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/वार्डेन/प्रभारी प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

05/01/26
(शशि रंजन)
राज्य परियोजना निदेशक

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्)

Admission Guidelines for Balvatika and Class-1 in School of Excellence

(राज्य के उत्कृष्ट विद्यालयों के बालवाटिका एवं कक्षा 1 में नामांकन हेतु दिशा निर्देश)

राज्य सरकार द्वारा संचालित School of Excellence (उत्कृष्ट विद्यालयों) में Entry level Classess (प्रवेश कक्षा अर्थात् बाल वाटिका तथा कक्षा–01 में शैक्षणिक सत्र 2026–27 में नामांकन हेतु दिशा निर्देश निम्नवत् है :–

1. राज्य के School of Excellence (उत्कृष्ट) विद्यालयों में **शैक्षणिक सत्र 2026–27** हेतु बाल वाटिका (5+ वर्ष आयु) तथा कक्षा – 1 (6+ आयु) में नामांकन की प्रक्रिया हेतु संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालयवार आकलन कर राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा सभी जिलों के उत्कृष्ट विद्यालायों के संदर्भ में विद्यालयवार सीटों की विवरणी उपलब्ध कराई जायेगी। ज्ञातव्य हो कि बाल वाटिका में एवं कक्षा में 1 में 40–40 बच्चों का नामांकन लिया जायेगा। प्रकाशित विज्ञापन के साथ विद्यालयवार रिक्ति समाचार पत्रों में विद्यालयों के नाम एवं उपलब्ध सीटों की संख्या के साथ प्रकाशित की जाएगी। प्रकाशित विद्यालय की सूचना विद्यालय के सूचना विद्यालय के सूचना पट, जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर भी Display हेतु लगायी जाएगी। इसके अलावा विद्यालय के वेबसाईट पर भी इसका अनिवार्य रूप से प्रकाशन किया जाएगा।
2. नामांकन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन सभी जिलों द्वारा दिनांक 22.01.2026 तक अनिवार्य रूप से प्रकाशित कर दी जायेगी तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16.02.2026 तक रखी निर्धारित की जाती है।
3. नामांकन हेतु ऑनलाईन आवेदन विद्यालय के वेबसाईट पोर्टल पर Admission Link पर वांछित अभिलेख के साथ करना होगा अथवा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय/संबंधित जिले के School of Excellence निर्धारित नामांकन प्रपत्र प्राप्त कर ऑफलाईन मोड में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भी जमा किये जा सकते है।
4. संबंधित जिले में निवास करने वाले अभिभावक के बच्चे नामांकन हेतु आवेदन कर सकते है।
5. आवेदन विहित पत्र में प्राप्त किया जाएगा जिसका प्रारूप एंव इस दिशा निर्देश के साथ शीघ्र ही प्रकाशित की जायेगी।
6. नामांकन में चयन हेतु निम्न रूप में प्राथमिकता दी जाये :–

   क. विद्यालय में 2 KM के अंदर निवास करने वाले अभिभावकों के बच्चे।

   ख. विद्यालय में 7 KM के दायरे में निवास करने वाले अभिभावकों के बच्चे।

ग. विद्यालय में नामांकन लेने वाले बच्चें के अभिभावकों से संबंधित SOE के प्रधानाध्यापक यह शपथ (undertaking) लेने कि अभिभावक अपने बच्चे के सुरक्षित विद्यालय आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

7. नामांकन में जिला के आरक्षण का पालन करते हुए नामांकन लिया जाएगा।
8. बाल वाटिका एवं कक्षा–1 में नामांकन हेतु सिर्फ निम्नांकित आयु सीमा के बच्चों के आवेदन स्वीकार किये जायेंगें :–

   (i) बाल वाटिका – वैसे बच्चे जिन्होंने 01.04.2025 में लेकर 31.03.2026 तक 5 वर्ष आयु पूर्ण कर ली हो।

   (ii) कक्षा – 1 – वैसे बच्चे जिन्होंने 01.04.2025 से लेकर 31.03.2026 तक के बीच 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।

विश्वासभाजन,

05/01/26

(शशि रंजन)

राज्य परियोजना निदेशक